न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
इजलास – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 121 / 2017
तारीख दायर : 26.10.2017

उनवान

1. हजारी लाल पिता भूरा लाल जाति रेगर निवारी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।

---वादी

बनाम

1. नानी बेवा भागीया जाति बैरवा निवारी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
2. गोपाल पिता मगना जाति बैरवा निवारी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
3. सत्तू माता मांगी पिता काशीराम जाति बैरवा निवारी सालमपुरा तहसील माण्डलगढ़।
4. प्रकाश माता मांगी पिता काशीराम जाति बैरवा निवारी सालमपुरा तहसील माण्डलगढ़।
5. बंशीलाल माता मांगी पिता काशीराम बैरवा निवारी सालमपुरा तहसील माण्डलगढ़।
6. नन्दू माता मांगी पत्नि प्रकाश जाति बैरवा निवारी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
7. सीमा माता मांगी पत्नि कालू जाति बैरवा निवारी जोजवा तहसील माण्डलगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

---प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री संजय खटीक (अधिवक्ता वादी)
2. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 4,6,7)

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक : 28.10.2020

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाद नियमित सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2020 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम जोजवा पटवार मण्डल जोजवा तहसील माण्डलगढ़ के खाता संख्या 150 की आराजी संख्या 157 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री के आदेश दिये जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को विभाजन कर बंटवाड़ा प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा आदेशानुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 15.10.2020 को विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर दिनांक 20.10.2020 को अधिवक्ता वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी सहमति जाहिर कर शीघ्र सूनवाई बाबत् निवेदन किया। पक्षकारान् तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव से सहमत है।

अतः वाद वादी [illegible] धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश[illegible] है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:29:07 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम खातेदार	[illegible]	[illegible] संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1	गोपाल पिता मगना 1/2 बैरवा, प्रभु पिता मगना 1/2 बैरवा।	जोजवा	157	0.0324	चाही बंजर	[illegible]686

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

	योग		किता 1	0.0324		1.1686
2	नन्दू पुत्री मांगी 1/5 बैरवा प्रकाश पिता मांगी 1/5 बैरवा सत्यनारायण पिता मांगी 1/5 बैरवा सीमा देवी पुत्री मांगी 1/5 बैरवा बंशीलाल पिता मांगी 1/5 बैरवा।	जोजवा	157	0.1255	चाही I बंजड़	4.5268
	योग		किता 1	0.1255		4.5268
3	हजारी लाल पिता भूरा लाल रेगर।	जोजवा	157	0.0243	चाही I बंजड़	0.8765
	योग		किता 1	0.0243		0.8765
4	नानी पत्नि स्व. भागीया बैरवा।	जोजवा	157	0.0687	चाही I बंजड़	1.6016
	योग		किता 1	0.0687		1.6016

उक्तानुसार खातेदारों के नाम पर भूमि पृथक पृथक दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते है। वकील वादिया द्वारा नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेश करने पर डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:29:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner